रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938
No. 97] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 120(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 830(अ), तारीख 29 अगस्त, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रकाशित किए गए थे और उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप नियम से युक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 29 अगस्त, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है ; अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 96 में, उपनियम (4क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(4ख) प्रवर्ग एम 1 और एम 2 के मोटर यानों में-

(i) नए माडलों की दशा में, 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् ; और

(ii) सभी माडलों की दशा में, 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात्,

प्रवर्ग एम 1 यानों के मामलों में विनिर्देशन, आईएस : 15986 : 2015 और प्रवर्ग एम 2 यानों के मामलों में विनिर्देशन, आईएस : 11852 : 2003 (भाग-9) के अनुसार एंटी- लाक ब्रेकिंग प्रणाली लगानी होगी ।"।

[फा. सं. आरटी-11028/09/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 1183(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2016 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2017.

G.S.R. 120(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 830(E), dated the 29th August, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th August, 2016;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 109 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 96, after sub-rule (4A), the following sub-rule shall be inserted, namely:–

"(4B). The motor vehicles of category M1 and M2 shall-

(i) on and after the 1st April 2018, in the case of new models; and

(ii) on and after the 1st April 2019, in the case of all models.

be fitted with Anti-lock braking systems as per IS: 15986:2015, specifications in case of Category M1 vehicles and per IS: 11852:2003 (Part -9), specifications in case of Category M2 vehicles.".

[F. No. RT-11028/09/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 1183(E), dated the 29th December, 2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.13 23:06:55 +05'30'